



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक- 07 मई, 2025

थाना – गुलावठी

धोखाधड़ी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोटरसाइकिल, 2,650/- रुपये नकद, अवैध असलहा कारतूस आदि बरामद।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 07.05.2025 को थाना गुलावठी पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर धौली प्याऊ चौराहे के पास से धोखाधड़ी करने वाले 02 अभियुक्तों को 01 मोटरसाइकिल, 2,650/- रुपये नकद व अवैध असलहा कारतूस आदि सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 186/25 धारा 3/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. भानू प्रताप पुत्र सुधीर कुमार निवासी ग्राम नयांबास थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
2. सरजू पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम भटोना थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1. 2,650/- रुपये नकद
2. 01 मोटरसाइकिल नं० UP-13BS-3286
3. 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 04.05.2025 को थाना गुलावठी क्षेत्रान्तर्गत नाग देवता मन्दिर ग्राम देवली में दो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों के साथ क्राइम ब्रांच स्टाफ बताकर धोखाधड़ी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में थाना गुलावठी पर मुअसं- 182/25 धारा 309(6) बीएनएस पंजीकृत हैं। उक्त अभियोग मे धारा 309(6) के स्थान पर परिवर्तित कर धारा 308(5) बीएनएस व धारा 317(2) की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 25.04.2025 को थाना गुलावठी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कुरली सड़क पुख्ता में दो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों के साथ 2200/- रुपये ठगने की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में थाना गुलावठी पर मुअसं- 183/25 धारा 308(5) बीएनएस पंजीकृत हैं। उक्त अभियोग मे धारा 317(2) की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त भानू प्रताप का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 21/23 धारा 379/411/420 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 49/23 धारा 379/411 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 52/23 धारा 379/411 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं- 58/23 धारा 398/401 भादवि व 3/4/25 शस्त्र अधि० थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं- 349/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं- 182/25 धारा 308(5)/317(2) बीएनएस थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
7. मुअसं- 183/25 धारा 308(5)/317(2) बीएनएस थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
8. मुअसं- 186/25 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त सरजू का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 373/22 धारा 147/323/325/352/504/506 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

2. मुअसं- 02/24 धारा 147/148/323/504 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 182/25 धारा 308(5)/317(2) बीएनएस थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं- 183/25 धारा 308(5)/317(2) बीएनएस थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

थाना गुलावठी पुलिस टीम-

1. श्रीमती सुनिता मलिक थाना प्रभारी गुलावठी
2. उ०नि० राजेन्द्र सिंह,
3. है०का० मेघ सिंह, है०का० अनिल कुमार, है०का० नरेन्द्र कुमार



मीडिया सैल बुलन्दशहर